

# बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अ0सं0 :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1573 /पटना, दिनांक :- 25-9-2020

श्री ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-045/2016 दिनांक-25.04.2016 घारा-13(2)-सह-पठित घारा-13 (1)(ई) भ0नि0अधि0-1988 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2359 सह-पठित ज्ञापांक-2360 दिनांक 29.07.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1)(क) एवं 9(1)(ग) के तहत 25.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना संख्या-2964 दिनांक 28.09.2016 द्वारा मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।


2. विभाग में निलंबित पदाधिकारी/कर्मचारी के निलंबन के मामले पर दिनांक 04.06.2020 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री ललन कुमार, सहायक अभियंता, चार वर्षों से निलंबित है। इनके विरुद्ध दर्ज मुकदमा में विलम्ब की संभावना है तथा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। अतएव श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले श्री ललन कुमार को निलंबन से मुक्त करने पर विचार करने की अनुशंसा की गयी।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर को निलंबन से मुक्त करने के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

5. श्री कुमार के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

/पटना, दिनांक :- 25-9-2020

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1574

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



उप सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1574

/पटना, दिनांक :- 25-9-2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

lan  
25.09.20

उप सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1574

/पटना, दिनांक :- 25-9-2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/भवन निर्माण विभाग/अपर सचिव, स्थापना प्रभारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-5/प्रशाखा-12/श्री ललन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर निलंबित अभियंता, मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

lan  
25.09.20

उप सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1574

/पटना, दिनांक :- 25-9-2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

lan  
25.09.20

उप सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-92/2016 1574

/पटना, दिनांक :- 25-9-2020

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

lan  
25.09.20

उप सचिव

(2)

का 20/20 15/20